

अज अदालत.....

सहायक सचिव
(SDO) बायतु

मुकाम.....

पेशावराम

बनाम.....

रायमलराम कोठा

किस्म मुकदमा.....

RP आवेदन 111, 128
RLR Au-

नं.....

93/2022

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/3/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>जुनीदीश गोपाल</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>27/4/22</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
27/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त विप्रार्थी को नोटिस तामिल हुआ था जिसे शामिल पत्रावली विदा था। विप्रार्थी को वाक्य तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय लीग कार काकाज लगाई गई मन्त्रिम काकाज 5-45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी को स्वयं या उनकी कोर्ट ले कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी को के विरुद्ध पत्रावली शामिल में लाई जाली है।</p> <p>मतः पत्रावली वाक्य पत्रावली दिनांक-01/06/22 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO), बायतु जिला - बायतु</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/895
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 01/06/2022
विप्रार्थीगण

1. पेमाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 04,
जाति जाट, निवासी गोदारो की ढाणी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. रायमलराम पुत्र शिवदानराम वगैरा 07,
जाति जाट, निवासी गोदारो की ढाणी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 93/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - गोदारो की ढाणी, पटवार हल्का - माडपुरा बरवाला, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. क्रमशः 910/737, 912/805 रकबा क्रमशः 10.4280, 7.2405 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जसदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 01/06/2022

क्रमांक/वाद /2022/896-900

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री रायमलराम पुत्र शिवदानराम वगैरा 07,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाडमेर